

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0

अपने पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

खेड़ा कीवली / गुण्डागौड़जी

खेड़ा कीवली / गुण्डागौड़जी
ग्राम: 112
दुआराम पुं रामशंकर, कलीप पुं रामशंकर
दुआराम पुं रामशंकर, कलीप पुं रामशंकर

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी

क्र : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराप्ता की जाती है / नहीं जाती है।

1244
1908
11-11-2021

21/11/21
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी
मु.गौ.पु.वा.टी (अनु.पु.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 11-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को राजस्व कार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
-	वकीप (अ.स.)	2015-78	112	दुआराम पुं रामशंकर कलीप पुं रामशंकर	दुआराम पुं रामशंकर कलीप पुं रामशंकर

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 11-11-2021

क्र : राजस्व / 2020 /
लिपि :-

1038-39

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी